आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–03/2016

उमाकांत यादव.....वादी

बनाम्

संजीव कुमार.....प्रतिवादी

आदेश

21/8/21

प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा जमाबंदी सं0 244/264 को रद्द करने हेतु दायर किया गया। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है:–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
पीरनगरा	358	2708	2–7–7–0
	358	742	5–5–1–15

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि जमाबंदी सं0 244/264 पंजी– में पुरूषोत्तम नारायण सिंह के नाम से दर्ज है। जो वगैर किसी सक्षम राजस्व पदाधिकारी के आदेश से पुरूषोत्तम नारायण सिंह का नाम काटकर विरेन्द्र नारायण सिंह दर्ज करा दिया गगया। पुरूषोत्तम नारायण सिंह या उनके वारिसान कभी भी संबंधित भूमि पर दखल कब्जा में नहीं आये और ना ही उनकी ओर से कोई दावेदारी प्रस्तुत की गयी। जमाबंदी सं0 244/264 पर पंजी–II में ना तो जमीन का खाता दर्ज है और ना ही खेसरा अंकित है। पुरूषोत्तम नारायण सिंह अथवा विरेन्द्र नारायण सिंह पीरनगरा के रहने वाले नहीं है और ना ही पीरनगरा में उनके नाम से जमीन है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि विपक्षी द्वितीय पक्ष विरेन्द्र नारायण सिंह प्रथम पक्ष को गलत सूचना प्रेषित कर उक्त जमाबंदी से संबंधित जमीन केवाला करा लिया। केवाला कराते समय वीरेन्द्र नारायण सिंह को जब सही तथ्य की जानकारी मिली कि मौजा पीरनगरा में की जा रही केवाला की जमीन उनकी नहीं है तो उनके द्वारा केवाला निष्पादन कबूल मंजूर किये बिना वापस चले गये। किन्तु फिर भी विपक्षी प्रथम पक्ष षडयंत्र रचकर निबंधित केवाला कराने में सफल हो गये। इस संबंध में द्वितीय पक्ष वीरेन्द्र नारायण सिंह दिनांक–02.09.13 को जिला अवर निबंधक, खगड़िया के यहाँ जमीन रद्द करने की याचना दी। साथ ही इस संबंध में अंचल अधिकारी, बेलदौर को लिखित आपत्ति दर्ज कर दिया ताकि दाखिल खारिज ना हो।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कार्रवा बारे में टिप्प तारीख के सा
1	2	3
	आवेदक की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के पिता योगी यादव भूतपूर्व जमीन्दार से मौजा पीरनगरा खाता 358 खेसरा 2708 रकवा 02–07–07 तथा खेसरा 742 रकवा 05–05–01–15 जमीन बंदोवस्ती के द्वारा हासिल है। इसके अतिरिक्त खाता 241 खेसरा 708 रकवा–01–05–0 खतियान के द्वारा प्राप्त है और प्रश्नगत जमीन जमाबंदी सं0 133/143 का उनकी अद्यतन लगान रसीद प्राप्त है। जमीन उनके दखल कब्जा में शांतिपूर्ण और इसी जमीन का विपक्षी के द्वारा जाल फरेब केवाला कराकर आवेदक से अनावश्यक विवाद उत्पन्न करते है। इसलिए अवैध रूप कायम जमाबंदी 244/264 को न्यायहित में खारिज करने की प्रार्थना की है। आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये :– 1. जमाबंदी सं0 133/143 से संबंधित मालगुजारी रसीद की छायाप्रति। 2. भूतपूर्व जमींदारी रसीद की छायाप्रति। 3. यूनियन बैंक पीरनगरा द्वारा ऋण प्राप्ति संबंधी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। 4. केवाला की छायाप्रति। 5. अंचल अधिकारी, बेलदौर का निर्गत पत्र की छायाप्रति। 6. जिलाधिकारी, खगड़िया के गोपनीय शाखा का निर्गत पत्र की छायाप्रति। 7. खतियान की छायाप्रति विपक्षी सं0 01 की ओर से लिखित आपत्ति तथा लिखित बहस दाखिल करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद पोषनीय नहीं है। आवेदक को वाद लाने का विधिक अधिकार नहीं है। विपक्षी की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि उनके द्वारा बजरिये निबंधित केवाला के द्वारा भूमि क्रय किया गया है। केवाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी सं0 244/264 केवाला में दर्ज है। केवाला की वैधता की जांच राजस्व न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। प्रश्नगत जमाबंदी 244/264 विहित प्रक्रिया अपनाते हुए कायम किया गया। ठीक इसके विपरीत आवेदक जमाबंदी सं0 133/143 जालफरेब आधार पर कायम करवाया है। जिसकी जांच होनी चाहिए विपक्षी के जमीन को आवेदक खेसरा सं0 742, 2708 के जमीन को आवेदक हड़पना चाहते है। विपक्षी के ओर से यह भी निवेदन किया गया कि पूर्व के बी0एल0डी0आर0 वाद सं0 119/2013–14 में पारित आदेश दिनांक–23.06.2015 के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत खेसरा 742 रकवा 05–07–0 भूमि को विपक्षी सं0 04 वीरेन्द्र नारायण सिंह की रैयती मानी गयी थी। आवेदक के द्वारा जमाबंदी सं0 244/264 के संबंध में निराधार आपत्ति दर्ज की गयी है। इसलिए प्रस्तुत वाद खारिज करने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में विपक्षी सं0 1 की ओर से	

...श की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किये :–

1. दिनांक–22.08.13 का निबंधित केवाला की छायाप्रति।
2. लगान रसीद की छायाप्रति।
3. जमाबंदी सं0 244 / 264 की छायाप्रति।
4. एप्लीकेशन फॉर इन्फोरमेशन की छायाप्रति।
5. बी0एल0डी0आर0 वाद सं0 119 / 2013–14 में पारित आदेश की छायाप्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को अभिलेख में उपलब्ध ग्रह्य साक्ष्यों तथा अंचल अधिकारी, बेलदौर का पत्रांक–2056 दिनांक–24.12.19 समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि कथित जमाबंदी सं0 244 / 264 से संबंधित पंजी–II में यह स्पष्ट रूप से 244 / 274 के रूप में अंकित है। किन्तु तौजी हल्का / थाना नं0 का कॉलम खाली है। इसके अतिरिक्त पंजी–II में खाता एवं खेसरा भी अंकित नहीं है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि जमाबंदी सं0 244 / 274 पंजी–II के अनुसार वगैर किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के सृजित है। इतना ही नहीं अंचल अधिकारी के पत्रांक–932 दिनांक–28.07.14 में यह भी स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि पर केवाला दार का दखल कब्जा नहीं है।

इसलिए न्यायहित में जमाबंदी सं0 244 / 274 पंजी–II के अनुसार कायम रखना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि यह वगैर किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के सृजित है। इसलिए इसे खंडित किया जाता है। जहाँ तक निबंधित केवाला की वैधता का प्रश्न है तो इसकी विवेचना राजस्व न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। प्रभावित पक्षकार निबंधित केवाला से अपने स्वत्व एवं दखल कब्जा के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ वाद इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बेलदौर को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

21/8/21

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

डी0 को0 सं0 559 दिनांक 28/8/21
प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, बेलदौर को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(अपर समाहर्त्ता, खगड़िया)